न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 22/2019

प्रार्थीगण– *बनाम* **अप्रार्थीगण–**

1. आनन्द भारती पुत्र गुलाब भारती
2. श्रवण भारती पुत्र गुलाब भारती
3. सीना भारती पुत्री गुलाब भारती
4. संगीता भारती पुत्री गुलाब भारती निगरानीकर्ता संख्या 4 नाबालिग पुत्र जरिये कुदरती वली निगरानीकर्ता संख्या 1 आनन्द भारती जाति गोस्वामी निवासी समदड़ी स्टेशन तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी
2. वीरम भारती उर्फ विष्णु भारती पुत्र जीवा भारती जाति गोस्वामी निवासी समदड़ी स्टेशन तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 16 दिनांक 05.06.2017 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी स्टेशन द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री महेन्द्रसिंह सोढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 27.12.2021

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी स्टेशन द्वारा अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत ग्राम समदड़ी स्टेशन में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि [illegible] पट्टा विलेख सं. 16 दिनांक 05.06.2017 जारी [illegible] नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 1350 वर्गफीट दर्शाया [illegible]। ग्राम पंचायत समदड़ी स्टेशन द्वारा इस पट्टा विलेख को जारी करने में

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत समदड़ी का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 में विहित नियम 157(1) के प्रावधानों की पूर्ण पालना नहीं कर नियमों की अनदेखी करते हुए आलौच्य पट्टा जारी किया गया है, जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत के सरपंच ने अपने पदीय कर्तव्यों से परे अप्रार्थी संख्या 2 को फायदा पहुंचाने के लिये आलौच्य पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया गया है। विवादित भूखण्ड मूल रूप से जीवा भारती के कब्जा एवं मालकियत का था जिसमें जीवा भारती व उसका परिवार रहता था। जीवा भारती के देहान्त के बाद उक्त भूखण्ड में उसके तीन पुत्र अप्रार्थी संख्या 2 वीरम भारती उर्फ विष्णु भारती निगरानीकर्ता के पिता गुलाब भारती व दीपक भारती रहवास करने लगे। दीपक भारती ने संन्यास ले लिया इसलिये उन्होंने अपना हिस्सा निगरानीकर्ता व अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में छोड़ दिया था। इस प्रकार उक्त पैतृक सम्पत्ति के भूखण्ड में निगरानीकर्तागण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर सम्पूर्ण भूखण्ड [illegible] होना बताते हुए आलौच्य पट्टा संख्या 16 [illegible] जारी करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त पट्टा से संबंधित जो पत्रावली संधारित की गई उसमें सरपंच ग्राम पंचायत के कहीं भी हस्ताक्षर अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

नहीं हैं, मौका रिपोर्ट का प्रपत्र बिल्कुल खाली है। ग्राम पंचायत की ओर से नियमानुसार कोई शुल्क रकम प्राप्त नहीं की गई है एवं न ही आपत्तियों का नोटिस जारी किया गया है। विवादित पट्टे में जो पड़ौस अंकित किये गये हैं वह मौके की स्थिति से भिन्न हैं क्योंकि उक्त भूखण्ड के दक्षिण में निगरानीकर्ता का मकान है लेकिन पट्टे में दक्षिण में छगनाराम नाई का मकान बताया है। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई विधिक कार्यवाही अपनाते हुए नियम विरूद्ध आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। विवादित भूखण्ड जीवा भारती के स्वामित्व एवं आधिपत्य का था जिस पर उसके वारिसान निगरानीकर्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 का बराबर–बराबर हक हिस्सा है। ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई कब्जे एवं स्वामित्व की जांच नहीं की है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में सम्पूर्ण भूखण्ड का पट्टा जारी करने में विधि एवं न्याय की भूल की है। अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में उक्त पट्टा जारी होने की जानकारी निगरानीकर्ता को होने पर विवाद हुआ जिसे आपसी समझाइश पर अप्रार्थी संख्या 2 ने स्पष्ट रूप से एसक राजीनामा निगरानीकर्तागण के पक्ष में लिखकर उक्त भूखण्ड में 1/2 हिस्से पर निगरानीकर्तागण का कब्जा एवं रहवास होना माना है। इस आधार पर आलौच्य पट्टा खारिज योग्य है।

4. अप्रार्थी सं. 2 जरिये समाचार पत्र प्रकाशन नोटिस तामीली के बावजूद अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं अधिवक्ता निगरानीकर्तागण को सुना गया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता कथन हैं कि आलौच्य पट्टा नियम 157(1) के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 2 को विधि विरुद्ध लाभ पहुंचाने के लिए सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से नियमों के विरूद्ध जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत कार्यालय में उक्त पट्टा से संबंधित जो पत्रावली संधारित की गई उसमें सरपंच ग्राम पंचायत के कहीं भी हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं, मौका रिपोर्ट का प्रपत्र बिल्कुल खाली है। ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

पंचायत की ओर से नियमानुसार कोई शुल्क रकम प्राप्त नहीं की गई है एवं न ही आपत्तियों का नोटिस जारी किया गया है। विवादित पट्टे में जो पड़ौस अंकित किये गये हैं वह मौके की स्थिति से भिन्न हैं क्योंकि उक्त भूखण्ड के दक्षिण में निगरानीकर्ता का मकान है लेकिन पट्टे में दक्षिण में छगनाराम नाई का मकान बताया है। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा बिना कोई विधिक कार्यवाही अपनाते हुए नियम विरूद्ध आलौच्य पट्टा जारी किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी अनुसार उक्त पैतृक सम्पत्ति के भूखण्ड में निगरानीकर्तागण का 1/2 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 1/2 हिस्सा था। अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर सम्पूर्ण भूखण्ड मय मकान अपने अकेले का होना बताते हुए आलौच्य पट्टा संख्या 16 दिनांक 05.06.2017 जारी करवा दिया। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा एक राजीनामा विलेख प्रस्तुत किया गया है जिसमें अप्रार्थी द्वारा विवादित भूखण्ड में निगरानीकर्ता का 1/2 हिस्सा होना स्वीकार किया है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली का अवलोकन करने से पाया जाता है कि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 145 से 160 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। पत्रावली में किसी भी दस्तावेज आदेशिका पर सरपंच ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर नहीं है केवल अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर ही अंकित हैं। बैठक कार्यवाही रजिस्टर में भी उक्त पट्टा से संबंधित ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का इन्द्राज नहीं होना ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अवगत करवाया गया है। इस प्रकार विकास अधिकारी की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना उक्त पट्टा जारी किया गया है। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में इस बिन्दु पर पूर्णतया अवैधानिक एवं अनियमितता बरती गई हैं, लिहाजा धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता एवं अवैधता

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते
जिला कलक्टर
बाड़मेर

के बिन्दु पर आलौच्य पट्टा जारी करने की कार्यवाही एवं उसके अनुक्रम में जारी किया गया पट्टा निरस्त योग्य हैं।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत समदड़ी स्टेशन द्वारा बैठक दिनांक 05.06.2017 के संकल्प सं. 2 तहत लिये गये निर्णय एवं उसकी अनुपालना मे अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष मे जारी आलौच्य पट्टा विलेख सं. 16 दिनांक 05.06.2017 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:02:29 IST
Reason: SelfAttested